आखिरी जांच: 9 अक्टूबर 2026 · Welfare of Differently Abled Persons Department

Cash Incentive Scheme to Prevent School Dropout (Differently Abled Students)

तमिलनाडु सरकार सरकारी और सहायता प्राप्त विशेष स्कूलों में 10वीं से 12वीं में पढ़ रहे दिव्यांग विद्यार्थियों को नकद प्रोत्साहन देती है, ताकि वे पढ़ाई न छोड़ें।

क्या मिल सकता है

10वीं के लिए 1,500 रुपये, 11वीं के लिए 1,500 रुपये और 12वीं के लिए 2,000 रुपये। यह राशि टीएनपीएफसी में सावधि जमा के रूप में रखी जाती है और 12वीं पूरी होने पर ब्याज सहित विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा होती है।

किसके लिए है

तमिलनाडु के सरकारी या सहायता प्राप्त विशेष स्कूलों में 10वीं से 12वीं में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थी।

मुख्य शर्तें

- विद्यार्थी दिव्यांग हो और 10वीं, 11वीं या 12वीं में पढ़ रहा हो।
- स्कूल सरकारी या सहायता प्राप्त विशेष स्कूल हो।
- राशि हर कक्षा के लिए अलग तय है, और पृष्ठ के अनुसार कोई निर्धारित आवेदन फ़ॉर्म नहीं है।

दस्तावेज़

- शैक्षणिक प्रमाणपत्र

आवेदन कैसे करें

1. अपने ज़िले के ज़िला दिव्यांग कल्याण अधिकारी से संपर्क करें, जो इस योजना का आवेदन लेते हैं।
2. अपना शैक्षणिक प्रमाणपत्र जमा करें।
3. 12वीं पूरी करने के बाद जमा की गई प्रोत्साहन राशि ब्याज सहित आपके बैंक खाते में आती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://www.scd.tn.gov.in/specialedu.php#cash-incentive-prevent-dropout
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/tamil-nadu/tn-cash-incentive-prevent-school-dropout-differently-abled/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।